रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 937] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2003/आश्विन 17, 1925
No. 937] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2003/ASVINA 17, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2003

का.आ. 1191(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)" को विधि-विरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया है;

और उक्त घोषणा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 26 सितंबर, 2003 में सं.का.आ. 1113(अ) तारीख 26 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि वे सभी शक्तियां जो उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, पूर्वोक्त विधि-विरुद्ध संगम के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी।

[फा. सं. 14017/7/2003-एनआई-III]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2003

S.O. 1191(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government have declared the "Students Islamic Movement of India (SIMI)" as an unlawful association;

And whereas, the said declaration has been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of dated, the 26th September, 2003 *vide* number S.O. 1113(E) of the same date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that all the powers which are exercisable by it under Sections 7 and 8 of the said Act shall also be exercised by the State Governments and the Union Territory Administrations in relation to the aforesaid unlawful association.

[F. No. 14017/7/2003-NI-III]

A. K. JAIN, Jt. Secy.

2935 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.